न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/44

1. राजेश आत्मज मन्ना लाल जाति बैरवा निवासी खरायता ।
2. श्रीमती केसर बाई बेवा मन्ना लाल जाति बैरवा निवासी खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. चन्द्रकला पुत्री मन्ना लाल पत्नी बाबू लाल जाति बैरवा निवासी बम्बोलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. गीता बाई पुत्री मन्ना लाल पत्नी रामजीलाल जाति बैरवा निवासी भाटपुरा जिला सवाई माधोपुर ।
5. गौरा बाई पुत्र मुन्ना लाल पत्नी मुकेश जाति बैरवा निवासी करिरिया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. ओम प्रकाश आत्मज गोबरी लाल जाति बैरवा निवासी खरायता ।
7. राधा किशन आत्मज गोबरी लाल जाति बैरवा निवासी खरायता ।
8. हरिशंकर आत्मज गोबरी लाल जाति बैरवा निवासी खरायता ।
9. हरिप्रसाद आत्मज गोबरी लाल जाति बैरवा निवासी खरायता ।
10. भूली बाई बेवा गोबरी लाल जाति बैरवा निवासीयान ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश चन्द वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की आराजी नये खसरा नम्बर 221 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज पांच्या आत्मज

श्रवण जाति चमार के खातेदारी में दर्ज थी । वर्तमान में पांच्या के वारिस वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी विधिवत सूचना के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से वादीगण के पूर्वज पांच्या आत्मज श्रवण का नाम खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दिया । सेटलमेंट विभाग को उक्त इन्द्राज का कोई अधिकार नहीं था । वादीगण उक्त भूमि पर पिछले 45 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे । प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2013 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2013 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता पांच्या के खातेदारी की भूमि थी जिसे सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सिवायचक दर्ज कर दी । सेटलमेंट विभाग को उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रपत्र कमांक प.6 (12) राजस्थान/16/92/26 दिनांक 20.12.1995 के अनुसार भू–प्रबन्ध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के किसी भी खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की कृषि भूमि को चारागाह/सिवायचक/राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा । इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग की गलती को धारा 136 आर.एल.एक्ट के तहत दुरूस्त किये जाने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद खारिज कर दिया। वादीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी के पूर्वज पांच्या के खाते में दर्ज थी लेकिन बन्दोबस्त संवत् 2022 से 2041 में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी विधिवत प्रकिया के अपीलान्टगण के पूर्वज पांच्या का नाम खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के पूर्वज व अपीलान्ट के कब्जे काश्त की है ।

प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । अपीलान्ट ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य भी पेश की इसके बावजूद भी साक्ष्य को अनदेखा कर दावा वादी खारिज किया गया है । सेटलमेंट विभाग को अपीलान्ट के पूर्वजों की आराजी को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है फिर भी दावे को खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गई है । वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट को हक घोषणा का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति मतदाता सूची, फोटो प्रति पहचान पत्र, नकल जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 प्रदर्श– 1 पेश की गई है जिसमें कुल 03 किता की 29 बीघा 04 बिस्वा आराजी पांच्या आत्मज श्रवण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 29 बीघा 04 बिस्वा आराजी पांच्या वल्द श्रवण के नाम खाते में दर्ज है । नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल संवत् 2022 से 2041 प्रदर्श– 3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 127, 128, 131 एवं 132 के हाल खसरा नम्बर 214 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा कायम हुए हैं । नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2022 से 2041 प्रदर्श– 4 के अनुसार खसरा नम्बर 214 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि सिवायचक लगानी दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 01.04.1995 से 31.03.2015 प्रदर्श– 5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 214 के हाल खसरा नम्बर 221 रकबा 4.24 हैक्टर कायम हुए हैं । आंशिक नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 6 के अनुसार खसरा नम्बर 221 रकबा 4.24 हैक्टर भूमि सिवायचक दर्ज है । नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी प्रदर्श– 7 संलग्न है । डाक विभाग की रसीद प्रदर्श– 8, 9 संलग्न है । एडी कार्ड प्रदर्श– 10, मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो प्रति प्रदर्श' 11, 12 एवं 13 संलग्न है । धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस प्रदर्श– 14 एवं 15 संलग्न हैं ।

10. इसके अलावा बयानों में वादिनी केसर बाई के बयान पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं । शेष शपथ पत्रों पर पीडब्ल्यू–2 से पीडब्ल्यू–6 तक अंकित हैं परन्तु शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथपत्रों की ताईद नहीं की है जो कि सीपीसी की प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । जब तक शपथ पत्रों की न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं की जाती है तब तक इन शपथ पत्रों को बयानों में नहीं पढा जा सकता ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ फोटो प्रतियॉ भी प्रदर्श की हैं जबकि दस्तावेज असल अथवा उनकी प्रमाणित प्रतियॉ ही प्रदर्श करवायी जा सकती हैं । पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 प्रदर्श– 1 के अनुसार खसरा नम्बर 128 मिन की 10 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 मिन की 18 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 मिन की रकबा 11 बिस्वा कुल 03 किता की 29 बीघा 04 बिस्वा भूमि पांच्या वल्द श्रवण के खाते में दर्ज है । नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल संवत् 2022 से 2041 प्रदर्श– 3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 127 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 128 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 131 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा एवं साबिक खसरा नम्बर 132 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 214 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा कायम हुए हैं । खसरा नम्बर 127 पांच्या के खाते में दर्ज नहीं और साबिक खसरा नम्बर 128, 131 और 132 के रकबे का मिलान नहीं हो रहा है । इस प्रकार वादी अपने दावे को पूर्णतया सिद्ध नहीं कर पाये हैं ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2022 से 2041 प्रदर्श– 4 के अनुसार खसरा नम्बर 214 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज की जा चुकी है और वादीगण के द्वारा दावा सन् 2012 में पेश किया गया है ।

13. वदी के द्वारा हाल खसरा नम्बर और साबिक खसरा नम्बर को दर्शाए हुए नजरी नक्शा की प्रतियॉ भी पेश नहीं की गई हैं । इस प्रकरण में हम न्यायहित में यह आवश्यक समझते हैं कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि तहसीलदार से एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि पांच्या वल्द श्रवण के खाते में दर्ज आराजी बाद सेटलमेंट किन–किन खसरा नम्बरान में शामिल की गई है और वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कब्जा किस का है क्योंकि अपीलान्ट वादी के द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस की जो प्रतियॉ पेश की गई है उसके अनुसार खसरा नम्बर 221 की 1.00 हैक्टर भूमि के लिए धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस दिया गया है, जबकि आराजी खसरा नम्बर 221 की कुल आराजी 4.24 हैक्टर है । इस प्रकार इन समस्त तथ्यों की जॉच के उपरान्त ही इस प्रकरण में कोई विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन के अनुसार तहसीलदार से विस्तृत जॉच रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा